herbicides; development of tractors; tissue culture technique; development of post-harvest devices; food packing and processing materials; work on leather and leather goods; water purification-supply and storage; effluent disposal etc.

Compensation to Class IV Employees of Ministry Injured in Road Accidents

3290. SHRI HALIMUDDIN AHMED: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) number of class IV employees of Ministry of Home Affairs who were injured in road accidents on duty in the year 1977-78 upto September, 1978;

(b) number out of them who have been given compensation for injuries on duty; and

(c) number out of those who have not been paid compensation and when it is likely to be paid?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को अतिरिक्त भुगतान

3291. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को उनके द्वारा किये गये अतिरिक्त काम के लिये मासिक वेतन के अतिरिक्त अलग से भी भुगतान किया जाता है ;

(ख) इस प्रकार का भुगतान किये जाने के कारण क्या हैं और क्या किसी अन्य संवर्ग के कर्मचारियों को भी नियमित आधार पर इस प्रकार का भुगतान किया जाता है ;

(ग) क्या न्यूज रीडर्स को समाचार पढ़ने के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम पढ़ने के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान किया जाता है ;

(घ) क्या एनौंसर्स को भी यह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है ; और

(ङ) क्या इस को समाप्त करने का विचार है क्योंकि इससे पक्षपात को बढ़ावा मिलता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) अतिरिक्त पारिश्रमिक निम्नलिखित आधारों पर दिया जाता है :—

(1) स्टाफ आर्टिस्टों (जिनका मूल शुल्क 750.00 रुपए प्रतिमास से अधिक न हो, किन्तु उनको छोड़कर जिनका शुल्कमान 650–1200 रुपए और इससे अधिक हो) को समयोपरि भत्ते के रूप में, यदि उनके लिए उन्हें सौंपे गए कार्यों को उनके सामान्य काम के घंटों के अलावा करना आवश्यक हो (सीमा 25 प्रतिशत तक) ।

(2) उस हालत में जब किसी स्टाफ आर्टिस्ट को ऐसे कार्य, जिनको करने के लिए स्टाफ आर्टिस्ट से अपेक्षा नहीं की जाती, निश्चित कार्यक्रम के हित में नियमित या लगातार आधार पर सप्ताह में कम से कम दो बार सौंपे जाएं, अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो उनकी मासिक आय के 25 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(3) इसी प्रकार के कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को दिए जाने वाले शुल्क के 50 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में यदि किसी स्टाफ आर्टिस्ट को ऐसे कार्य सौंपे जाएं जो उसको सौंपे गए नियमित और कादाचित्क कार्यों में न आते हों ।

(4) जबकि नियमित सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के अलावा अन्य कोई भुगतान नहीं किया जा सकता, उनको कादाचित्क या आन्तरायिक किस्म के विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में मानदेय दिया जा सकता है ।

(ग) और (घ). जी, हां ।

(ङ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।